राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 127/2025 अपील

1. जैतुन बानु पत्नी स्व. अकबर नीलगर, निवासी हाजी कोलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. गुलाम मोईनुदीन पुत्र स्व. अकबर, नीलगर, निवासी हाजी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा (राज.)
3. ईशाक मोहम्मद पुत्र स्व. अकबर, नीलगर, निवासी हाजी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. गफ्फार मोहम्मद पुत्र स्व. अकबर, नीलगर, निवासी हाजी कॉलोनी, गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश संख्या 2127/18.05.1993 की पालना में नामान्तरण आदेश संख्या 846/19.09.2022 को निरस्तीकरण बाबत् अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –

1. श्री मुकेश धोबी, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 15/04/2026

अपीलार्थीगण की ओर प्रस्तुत अपील अनुसार ग्राम निम्बाहेड़ा द्वितीय, पटवार हल्का जीवलिया, भूअभि.नि मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या नया 117 पुराना 111 में आराजी संख्या 3145, 3184, 3185, 3186 कुल किता 04 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण के पूर्वज पति/पिता अकबर

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पुत्र खाजू का 1/4 हक हिस्सा निहित था। खाजू पिता ईदू नीलगर की मृत्यु के बाद उनके वारिसानो के नाम पर ग्राम विकास शिविर निम्बाहेड़ा में तत्कालीन तहसीलदार साहब द्वारा विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 2127/18.05.1993 खोला गया और वारिसान की रिपोर्ट पटवार साहब ने नामान्तरण में दाखिला किया, जिसमें विरासत से खाजू पिता इंदू नीलगर के बजाय उनके वारिसान अकबर गनी मोहम्मद चाद मोहम्मद, बेवा जेतून के नाम पर नामान्तरण खोलेने की स्वीकृति दी गई, परन्तु इन्द्राज दूरुस्ती के समय तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण के परिजन अकबर पुत्र खाजू का नाम खाते में अंकित नहीं किया गया और सम्वत खाजू के बजाय उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि नामान्तरण तहसीलदार द्वारा खोला गया था। मिलान खसरा में खाजू के नाम पर ही गिरदावर चोसला समवत 2033 से 2049 तक खाजु के नाम पर चली आ रही थी। सम्वत् 2050 से 2053 में उनकी पत्नि जेतुन के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि नामान्तरण में खसरा में रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण खुलना था परन्तु पटवारी की मूल के कारण नामान्तरण सही नहीं खोला गया और प्रार्थीगण के परिजन अकबर पुत्र खाजू के नाम को छोड़कर शेष वारिसानों के नाम पर नामान्तरण खोला गया और उसके उपरान्त अन्य वारिसानो ने उक्त वर्णित आराजियात के नामान्तरण की त्रुटि को सही कराये जाने बिना आराजियात को रहन, चेचान व हकत्याग के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया, जिसके नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 भी खुल गये, जिससे इस कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण अनपढ़ है और उन्हें कानून की ज्यादा समझ नहीं होने से रेस्पोडेन्ट व अन्य खातेदारो ने खाजू पिता ईदू की मृत्यु के पश्चात् राजस्व कर्मचारियो से मिलाभगती कर यह जानते हुए अपीलार्थीगण के पिता अकबर पुत्र खाजू का पैतृक कृषि आराजियात में अधिकार निहित है फिर भी तहसीलदार, पटवारी व अन्य खातेदारों ने त्रुटि को सही किये बिना नामान्तरण संख्या 2127/18.05.1993 के अनुसार खाजू जी के सभी वारिसानो के नाम पर खोलने के बजाय अपीलार्थीगण के पिता अकबर पुत्र खाजू का नाम विरासत से हटाते हुए शेष वारिसानो के नाम पर नामान्तरण खोल दिया, तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 खोला गया, जो नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से तथा पूर्व नामान्तरण की पालना नहीं होने के कारण एवं त्रुटिवश होने के कारण नामान्तरण संख्या 2127/18.05.1993 की पालना कराते हुए तथाकथित नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण अकबर पित्ता बाजू के विधिक वारिसान है और अकबर पिता खाजू का देहान्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट व पटवारी, गिरदावर ने अन्य खातेदारों से मिलाभगती कर यह जानते हुए कि अपीलार्थीगण के पिता अकबर पिता खाजू का भी उक्त आराजियात में हक हिस्सा निहित है फिर भी उनका अकेले का नाम विरासत के नागान्तरण में होते हुए भी त्रुटिवश हटा दिया और उसके बाद आराजियात को खुर्द बुर्द करने की नियत से अन्य नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 करवा लिये। इस कारण तथाकथित नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण प्रथमदृष्ट्या ही त्रुटिवश के आधार पर होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता अकबर का नामान्तरण संख्या 2127 में विरासत में नाम होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों की गलती लापरवाही एवं मिलाभगती के आधार पर केवल जैतुन व अन्य वारिसानो के नाम पर खाते खोल दिये और उक्त त्रुटि की अन्य खातेदारो को जनकारी होते हुए भी त्रुटि को सही कराये बिना आराजियात को खुर्द बुर्द कर राजस्व रिकॉर्ड में रहन, बय बक्षीस के माध्यम से परिवर्तन करा नामान्तरण संख्या 846/19. 09.2022 आदेश करा लिये, जो नामान्तरण की पालना सही नहीं होने से एवं नियमों के विपरीत होने से एवं अवैध विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण ने खातेदारो से आराजियत में हिस्सा देने के लिए

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कहा तो उन्होने कहा कि अकबर का आराजी में कोई हिस्सा नहीं है. जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त आराजियात से संबंधित नकले, पुरानी नकले निकलवायी जो अपीलार्थीगण को नकले दिनांक 24/07/2025 को प्राप्त हुई और नकले प्राप्त होने के बाद अपीलार्थीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और नकलो की जांच करायी तो पता चला कि तात्कालीन तहसीलदार की गलती एवं लापरवाही के कारण अपीलार्थीगण के पिता अकबर का विरासत से नाम हटा कर शेष वारिसानो व जैतुन के नाम पर नामान्तरण खोला गया और उक्त तथ्य की शेष वारिसान खातेदारो को जानकारी होते हुए भी आसीजयात को अन्य नामान्तरण नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 के माध्यम से खुर्द बुर्द कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थीगण को दिनांक 24.07.2025 को जानकारी हुई और अधिवक्ता से सम्पर्क दिनांक 15.10.2025 को किया और अधिवक्ता से दस्तावेज देखकर अपील करने की राय दी। इस कारण अविलम्ब यह अपील पेश की गई है। उक्त अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह विलम्ब सदनाविक होकर माकूल कारण रहा है जिसे मियाद में शुमार फरमाया जाना न्यायोचित है फिर भी अपीलार्थीया की ओर से पारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की होने से निर्धारित न्यायशुल्क पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अपील विरुद्ध नामान्तकरण आदेश संख्या 2127/18.05.1993 की पालना में नामान्तरण संख्या 846/19.09.2022 को निरस्त कर अपास्त फरमाया जाये।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए।

राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में 1993 से इतने वर्षों तक कोई आपत्ती नहीं की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपील प्रा0पत्र में अकित कथनों को दौहराते हुए प्रश्नगत नामान्तरण को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत अपील लगभग 33 साल बाद प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर ठहरती है। अपील अस्वीकार योग्य ठहरती है अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सारहीन व मियाद बाहर होकर पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

15.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा